

होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-1075 (एस0टी0)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक के भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत अंक 424.8 पर दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शत प्रतिशत निष्पत्ती करके परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय है।

दृष्टांत - रू0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.04.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् है :-

$$(424.8-239) \times 6350 = 4936.52 \text{ रू0 प्रतिमाह}$$

239

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेन्ट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	4936.52	11286.52	434.09
	अर्द्धकुशल	7000	5441.84	12441.84	478.53
	कुशल	7840	6094.86	13934.86	535.95
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	5231.94	11961.94	460.07
	अर्द्धकुशल	7420	5768.35	13188.35	507.24
	कुशल	8310	6460.24	14770.24	568.08
	अति कुशल	8975	6977.21	15952.21	613.54
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	5861.64	13401.40	515.43
	अर्द्धकुशल	8980	6981.10	15961.10	613.88
	कुशल	10640	8271.59	18911.59	727.36
	अति कुशल	12565	9768.10	22333.10	858.96

S.A.
(शमीम अख्तर)

अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

दिनांक 17/04/2026

पत्र संख्या 17(5-0)2-आई०आर०(वे०वो०हो०/२०-7)/2026

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगारा कराए तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अध्यक्ष/महामंत्री श्रमिक संघ (सीटू/एच.एम.एस./बी.एम.एस./इण्टक/एटक/एक्टू)।
3. सेवायोजक (यू.पी.एच.आर.ए.)।
4. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
5. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. नॉडल अधिकारी, आई०टी०सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 7- उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, नजारत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

Digitally signed by
SHAMIM AKHTER
Date: 17-04-2026
16:51 (शमीम अख्तर)

अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।